

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या:- 19/2021

दायरा दिनांक :- 02.09.2021

- | प्रार्थी:- | बनाम | अप्रार्थीगण:- |
|---|------|---|
| 1. 1. मृत फुली पुत्री धुलाजी पत्नी मेघारामजी जाति सीरवी के वारिसान:-
1/1 अचलाराम पुत्र मेघारामजी
1/2 पोमाराम पुत्र मेघारामजी
1/3 शिवलाल पुत्र मेघारामजी जातिगणा सीरवी, निवासीगण नाडोल, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.
2. हंजा पुत्री धुलाजी, पत्नी जोगारामजी, जाति सीरवी, निवासी नारलाई, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
3. किकली पुत्री धुलाजी, पत्नी पकारामजी, जाति सीरवी निवासी देसूरी, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.) | | 1. देवाराम पुत्र धुलाजी
2. मांगीलाल पुत्र धुलाजी
3. खुमाराम पुत्र धुलाजी जातिगण सीरवी निवासीगण करणवा, तहसील देसूरी जिला पाली
4. तहसीलदार महोदय, देसूरी जिला पाली (राज) |



- उपस्थिति:-
1. श्री सुमेरसिंह राजपूरोहित अभिभाषक अपीलाण्टस् की ओर से।
 2. श्री लक्ष्मण के चौधरी अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ओर से।
 3. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता।

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध म्यूटेशन संख्या 329 ग्राम करणवा पटवार हल्का कोटडी, तहसील देसूरी को दिनांक 06.12.2001 को स्वीकृत किया।

—:निर्णय:-

दिनांक 10-01-2022

1. अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील रेस्पोंडेन्टस् के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम कि धारा 75 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्टस् तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या एक से तीन के पिता धुलाजी थे। धुलाजी का वर्ष 2001 में देहांत हो गया था। धुलाजी की मृत्यु के समय प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलाण्टस् एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या एक से तीन पुत्रीयां व पुत्रगण जीवित थे एवं आज भी जीवित है। अपीलाण्ट संख्या एक फुली का देहांत हो चुका है, फुली के पति का भी देहांत हो चुका है, फुली के विधिक वारिसान अपीलाण्ट संख्या 1/1 से 1/3 है।
2. यह हैं कि धुलाजी के सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम करणवा पटवार हल्का कोटडी के खाता संख्या 38 खसरा नम्बर 279, 280, 282, 284, कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर, खाता संख्या 165 खसरा नम्बर 692 रकबा 2.55 हैक्टेयर, खाता संख्या 166 खसरा नम्बर 685

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

रकबा 0.08 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त खाता नम्बर एवं खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि का धुलाजी की मृत्युपरान्त धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन के नाम विधिनुसार जरिये फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज की जानी थी, लेकिन रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन ने तत्कालीन सरपंच, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार महोदय से मिलावट कर अपीलाण्ट्स को अपने हक, हकुक, अधिकारों से वंचित रखने के लिए एवं तीन वारिसान रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन को बताकर जैर अपील म्यूटेशन स्वीकृति करवाकर राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद करवा दिया, उपरोक्त जैर अपील म्यूटेशन और उसमें वर्णित इन्द्राज अवैध एवं शून्यवृत है, क्योंकि तत्समय रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन के अलावा प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलाण्ट्स भी जीवित थे, जिनके नाम फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज किया जाकर स्वीकृति किया जाना आज्ञापक था, जो नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से भारी भूल की है, इसलिए अपीलाधीन म्यूटेशन एबईनिसियों वोर्ड होने से अवैध एवं शून्यवृत होने से अपास्त योग्य है।

3. यह है कि विधिनुसा पुत्रियां भी कोपार्सनर है, साथ ही उपरोक्त कोपार्सनरी अधिकार पुत्रियां को सन् 1956 से दिये गये हैं, इस आधार पर भी अपीलाण्ट्स के नाम फौतेदगी म्यूटेशन में वारिसान के नाम दर्ज किये जाने आज्ञापक थे, जो नहीं किया है। जैर अपील म्यूटेशन में वर्णित भूमि में अपीलाण्ट्स का आधा हिस्सा विधिक रूप से बनता है, शेष आधा हिस्सा रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन का बनता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अधिनस्थ कर्मचारियों के साथ मिलकर रेस्पोजेण्ट के साथ मिलावट कर रेस्पोजेण्ट्स को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए एवं अपीलाण्ट्स को अवैध हानि पहुंचाने के लिए तथा अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए केवल रेस्पोजेण्ट्स संख्या एक से तीन के नाम जैर अपील म्यूटेशन स्वीकृत कर विधिक रूप से भारी भूल की है। उपरोक्त म्यूटेशन विधिक रूप से अवैध होने से अपास्त योग्य है।



यह है कि विधि के सामान्य अनुक्रम में यही माना जाता है कि एक पुरुष की निर्वसीयती मृत्यु होने पर धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार सम्पत्ति के अधिकार प्रथम सूची में वर्णित वारिसान में स्वतः ही वेस्ट हो जाते हैं, जिस अनुसार अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोजेण्ट्स संख्या एक से तीन के पक्ष में जैर अपील म्यूटेशन में वर्णित कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार वेस्ट हो गये थे और यही अवधारणा की जाती है। अपीलाण्ट्स भी इसी मुगालते में रहे कि पिताजी की मृत्यु के बाद बतौर विधिक वारिसान अपीलाण्ट्स का नाम दर्ज हो चुका होगा, लेकिन हाल ही में अपीलाण्ट्स का नाम दर्ज हो चुका होगा, लेकिन हाल ही में अपीलाण्ट्स की माता रंबा की मृत्यु होने पर उसका फौतेदगी म्यूटेशन भरवाये जाने के बावत् कार्यवाही शुरू की एवं नकले ली, तब ज्ञात हुआ कि पिताजी की मृत्यु के बाद केवल रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन का नाम ही दर्ज किया गया है, अपीलाण्ट्स पुत्रियों का नाम फौतेदगी जैर अपील म्यूटेशन में दर्ज नहीं किया गया है, जिस पर जैर अपील म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का से दिनांक 17.08.2021 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई, जिस पर अन्य जमाबंदी की नकले प्राप्त की, तत्पश्चात् उपरोक्त अपील पेश की जा रही है। अपील पेश करने में किसी प्रकार की जानबूझकर देरी नहीं की गई है। रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन ने कभी भी पिताजी की मृत्यु के बाद यह जाहिर नहीं होने दिया कि पुत्रियां अर्थात् अपीलाण्ट्स का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। हर वर्ष फसल का हासल रेस्पोजेण्ट्स संख्या एक से तीन अपीलाण्ट्स को आज तक देते आ रहे हैं, इसलिए रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन पर अब तक संदेह भी नहीं हुआ कि रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन ने मिलावट कर केवल अपने नाम ही पिताजी के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया है एवं अपीलाण्ट्स का नाम जानबूझकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया, इस प्रकार जानकारी होते ही तुरन्त अपील पेश की जा रही है इसलिए अपील पेश करने में

अति जिला दफ्तर (संसद)
पाली (राज)

कोई देरी होना पाया जाता है तो वह माफी योग्य है। विधिक रूप से जैर अपील म्यूटेशन मय आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत अवैध एवं शून्यवृत होने से म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, साथ ही अपीलाधीन म्यूटेशन पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट्स को न तो नोटिस दिया, न ही सुना गया एवं अपीलाण्ट्स पुत्रियां जीवित होने का तथ्य छिपाते हुए अवैध कार्यवाही कर केवल पुत्रगण रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन का नाम ही जैर अपील म्यूटेशन से दर्ज करवाया है, इस कारण भी सर्वप्रथम जानकारी से अपील अंदर म्याद शुमार किया जाना न्यायोचित है।

5. यह है कि अन्य आधार बहस के समय निवेदन किये जायेंगे।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमावें तथा जैर अपील म्यूटेशन खारिज फरमावें तथा उपरोक्त म्यूटेशन में वर्णित कृषिभूमि में अपीलाण्ट्स का हक, हिस्सा होने से आधे हिस्से के खातेदार अधिकार अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित फरमावें।

6. अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेसन एक्ट का प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

7. अपील Subject to limitaion दर्ज रजिस्टर की जा कर रेस्पोजेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।


8. रेस्पोजेण्ट्स संख्या 2 व 3 दिनांक 30.9.2021 को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र मय कोर्ट फिस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वर्णित पक्षकारान आपस में भाई-बहन हैं तथा अपील में वर्णित भूमि में यदी बहनों का नाम दर्ज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोजेण्ट संख्या 2 व 3 ने अपीलाण्ट्स के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु सहमती जाहिर की।



रेस्पोजेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोजेण्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब पेश नहीं कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया जिस पर वकिल अपीलाण्ट व राजकिय अधिवक्ता ने अपनी सहमति जाहिर की।

10. बहस उभय पक्ष सूनी गई।

11. अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मिमो में वर्णित कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स तथा रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन के पिता धुलाजी थे। धुलाजी का वर्ष 2001 में देहांत हो गया था। धुलाजी की मृत्यु के समय प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन पुत्रीयां व पुत्रगण जीवित थे एवं आज भी जीवित है। अपीलाण्ट संख्या एक फुली का देहांत हो चुका है, फुली के पति का भी देहांत हो चुका है, फुली के विधिक वारिसान अपीलाण्ट संख्या 1/1 से 1/3 है। धुलाजी के सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम करणवा पटवार हल्का कोटडी के खाता संख्या 38 खसरा नम्बर 279, 280, 282, 284, कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर, खाता संख्या 165 खसरा नम्बर 692 रकबा 2.55 हैक्टेयर, खाता संख्या 166 खसरा नम्बर 685 रकबा 0.08 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त खाता नम्बर एवं खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि का धुलाजी की मृत्युपरान्त धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन के नाम विधिनुसार जरिये फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज की जानी थी, लेकिन रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन ने तत्कालीन सरपंच, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार महोदय से मिलावट कर अपीलाण्ट्स को अपने हक, हकुक, अधिकारों से वंचित रखने के लिए एवं तीन वारिसान रेस्पोजेण्ट संख्या एक से तीन


अति जिला न्यायालय (सीरिंग)
पाली (राज)

को बताकर जैर अपील म्यूटेशन स्वीकृति करवाकर राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद करवा दिया, उपरोक्त जैर अपील म्यूटेशन और उसमें वर्णित इन्द्राज अवैध एवं शून्यवृत है, क्योंकि तत्समय रेस्पोडण्ट संख्या एक से तीन के अलावा प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलाण्ट्स भी जीवित थे, जिनके नाम फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज किया जाकर स्वीकृति किया जाना आज्ञापक था, जो नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से भारी भूल की है, इसलिए अपीलाधीन म्यूटेशन एबईनिसियों वोर्ड होने से अवैध एवं शून्यवृत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार फरमावें तथा तहसीलदार देसूरी द्वारा ग्राम करणवा के म्यूटेशन संख्या 330 स्वीकृत दिनांक 06.12.2001 को खारिज फरमावें तथा उपरोक्त म्यूटेशन में वर्णित कृषि भूमि में अपीलाण्ट्स का हक, हिस्सा होने से आधे हिस्से के खातेदारी अधिकार अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित फरमावें।

12. रेस्पोडेंट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि तहसीलदार महोदय देसूरी द्वारा उक्त प्रकरण में वर्णित ग्राम करणवा का नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 06.12.2001 को विधि संगत स्वीकृत किया गया था, जिसे लगभग 20 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तत धारा 5 में वर्णित तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य/सबूत व दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे जाहिर होता है कि अपीलाण्ट्स द्वारा म्याद बिन्दु संबंधित बताये गये तथ्य आधारहिन व झुठे हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

13. रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से राजकिय अधिवक्ता बहस के दौरान निवेदन किया कि पक्षकारान के पिता श्री धुलाजी का देहान्त होने पर उनके परिवार द्वारा बताये गये वारिसान के अनुसार नियमानुसार कानून संगत फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया गया है, जो सही



बहस उभयपक्ष सूनी गई।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पत्रावली में वर्णित पक्षकारान आपस में भाई-बहन हैं जो मृतक श्री धुलाजी के वारिसान हैं, उक्त कथन रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने स्वयं स्वीकार किया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम सूची में वर्णित जीवित विधिक वारिसान का नाम फौतेदगी म्यूटेशन में दर्ज किया जाना था, जबकि उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट्स जो मृतक धुलाजी की विधिक वारिसान थी तथा वक्त नामान्तरकरण स्वीकृत के जीवित थी का नाम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फौतेदगी नामान्तरकरण में दर्ज नहीं करने की भूल कि है। अतः अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मैरिट के आधार पर स्ट्रॉन्ग होने से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना उचित प्रतित होता है।

16. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेड एक्ट के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन म्यूटेशन एबईनिसियों वोर्ड हैं क्योंकि तत्समय रेस्पोडण्ट संख्या एक से तीन के अलावा प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलाण्ट्स भी जीवित थे, जिनके नाम फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज किया जाकर स्वीकृति किया जाना आज्ञापक था, जो नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से भारी भूल की है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 06.12.2001 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार देसूरी को निर्देश दिये जाते हैं कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक धुलाजी की मृत्यु के

अति जिला जज (सीलिंग)
जयपुर (राज.)

समय प्रथम सूची में वर्णित जीवित विधिक वारिसानों की जांच कर दोनों पक्षों को सुनवाई समुचित अवसर देने के उपरान्त नियमानुसार कानून संगत पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही की जावे। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार, देसूरी को तहरीर के साथ माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।



[Signature]
जति जिला क्लर्क (सीलिंग)

यह आदेश आज दिनांक 10-01-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[Signature]
जति जिला क्लर्क (सीलिंग)
पक्षी (राम)